कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0— 2028/ मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर,अक्टूबर 30 2019

सेवा में,

प्रभागीयय वनाधिकारी ,
केमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर ।

विषय— जनपद—सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम—कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लाण्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

सन्दर्भ—
1— उ0 प्र0शासन का पत्रांकःवी0आई0पी0 23 / 14—2—2019—190 जी / 2018 दिनांक 28.06.2019
2—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक 15 / 11—सी—दिनांक 02.07.2019 एवं पत्रांक 753 / 11—सी—एफ0पी. / यू0 पी / इण्डस्ट्री / 23246 / 2016 दिनांक 14.10.2019
3— इस कार्यालय का पत्रांक 1783 / मी0 / 33 / दिनांक 14.10.2019
4— आपका पत्रांक 1255 / 33—1, दिनांक 21.10.2019
5— इस कार्यालय का पत्रांक 1963 / मी0 / 33 / दिनांक 24.10.2019
6— आपका पत्रांक 1292 / 33—1, दिनांक 24.10.2019

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में आप द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 1292 / 33—1 दिनांक 24.10.2019 द्वारा प्रेषित किये गये आख्या के संलग्नक उप जिलाधिकारी / वन वन्दोबस्त अधिकारी, सोनभद्र के रिपोर्ट में बिन्दु संख्या—4 में उल्लेख किया गया है कि " **प्रस्तावित कुल 124 गाटाओं के भारतीय वन अधिनियम की धारा—4 से आच्छादन के संबंध में** प्रस्ताव में अंकित **गाटाओं का वर्तमान जिल्द वन्दोबस्त में अंकित हाल नम्बर के सापेक्ष साबिक नम्बरान व वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये धारा—4 की विज्ञप्ति में अंकित नम्बरों के परीक्षण करने से स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान जिल्द वन्दोबस्त में प्रस्ताव में अंकित नम्बरान जिस साबिक नम्बरान से बने हैं, वे साबिक नम्बरान व उनका रकबा भारतीय वन अधिनियम की धारा—4 की विज्ञप्ति में अंकित नम्बरान व रकबे से मेल नहीं खा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा—4 में अंकित नम्बरान सन् 1372 फसली में हुए सर्वे व रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में बने हाल नम्बरान हैं, जिसका कोई अभिलेख अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है, जबकि उपरोक्त प्रस्तावित कुल 124 गाटे फसली सन् 1382—83 के सर्वे वन्दोबस्त से लिए गये है। प्रस्तावित कुल 124 गाटों के भारतीय वन अधिनियम की धारा—4 से आच्छादन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होता है उल्लेख किया गया है।**" इसी प्रकार आप द्वारा अपने आख्या के सारांश में उल्लेख किया गया है कि धारा—4 में विज्ञापित वन वन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायलय में विचाराधीन वादों का क्षेत्रफल 17.606 हे0 है।

स्पष्ट है कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गैर वन भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं है, साथ ही उपरोक्त आख्या शासन के पत्र दिनांक 28.06.2019 के मंशा के अनुरूप नहीं है, तथा उक्त पत्र द्वारा इंगित प्रमाण पत्र आप द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आप द्वारा प्रेषित पत्र को उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 28.06.2019 के अनुसार परीक्षणोपरान्त प्रमाण पत्र सहित आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि तदानुसार आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 2028 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2-- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 2028 ब/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को विषयक के संबंध में इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से मामले की आख्या प्राप्त होते ही परीक्षणोपरान्त अपने स्तर से ऑन लाइन सबमिशन करना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर